भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1319

11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकना

1319. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) सरकार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के उस पत्र को किस तरह से देखती है, जिसमें संकेत दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लीकेज से सरकारी खजाने को सालाना 69,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 28 प्रतिशत खाद्यान्न गरीबों और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ग) क्या इसका यह भी तात्पर्य है कि वर्ष 2016 से उचित मूल्य की दुकानों पर लगाई गई प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और उन्हें बायोमेट्रिक आधार-आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ने का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उपरोक्त पत्र के अनुसार, उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां लीकेज बहुत अधिक है और सरकार इसे रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत शासित होती है और इसे केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संचालित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकान डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्य की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन जिम्मेदारियां, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है।

.....2/-

28 प्रतिशत खाद्यान्न लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने की रिपोर्ट में उठान और वितरण को गलत तरीके से मिला दिया गया है। उठान का तात्पर्य, राज्यों द्वारा केंद्रीय डिपो से उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा से है, जबकि वितरण का तात्पर्य लाभार्थियों तक इन खाद्यान्नों की सुपुर्दगी से है। उठान के आंकड़ों में पारगमन में स्टॉक, बफर आबंटन, परिचालन भंडार और ओडब्ल्यूएस(अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के लिए स्टॉक भी शामिल है, जिन्हें परिवारों को तत्काल वितरित नहीं किया जाता है। इन अंतराल पर ध्यान नहीं देने पर,रिपोर्ट के लीकेज के अनुमान मौलिक रूप से गलत है।

प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटलीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 99.8% राशन कार्ड आधार संख्या से जोड़े गए हैं। खाद्यान्न वितरण का संचालन 5.41 लाख ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जो देश की लगभग सभी उचित दर दुकानों को कवर करता है। ये ई-पीओएस डिवाइस वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं, जिससे सही लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत सक्षम होता है। लगभग 98% खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे अपात्र लाभार्थियों को कम करने में और सही लक्ष्य का निर्धारण करना सुनिश्चित हो रहा है।

*****